ग्राम पंचायत निहारखन बासला, विकास खण्ड़ सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश–174001 के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. **(क) प्रस्तावनाः–**

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत निहारखन बासला, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहेः–

प्रधान :–

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री बुद्धि सिंह	01.04.2024 से 31.03.2025

पंचायत सचिव :–

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमति कॉंता शर्मा	01.04.2024 से 31.03.2025

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत निहारखन बासला, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र० सं०	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में(₹)
1	4(ग)	रोकड़ बही एवं बैंक शेष में भारी अन्तर	1.67
2	6.1	अनुदान उपयोग हेतु शेष	3.04
3	7.1	पंचायत गृहकर वसूली हेतु शेष	0.25
4	8.1	निर्माण सामग्री के ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना अनियमित भुगतान	2.57

5	8.2	स्त्रोत पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना	0.11
6	9.2	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	1.09
7	9.3	सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	0.77
8	9.4	बिना उचित बिलों के भुगतान करना	0.22

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः—

सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत सूचना अनुसार हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला द्वारा ग्राम पंचायत निहारखन बासला, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर का यह **प्रथम** अंकेक्षण है।

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत निहारखन बासला, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री महाराज सिंह अनुभाग अधिकारी (ले•प•) व श्री पुनीत कुमार, आर्टीकल सहायक द्वारा दिनांक 10.07.2025 से 11.07.2025 तक ग्राम पंचायत निहारखन बासला के कार्यालय में किया गया। आय—व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की अधिकतम आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः—

वर्ष	आय	व्यय
2024—25	05/2024	02/2025

अस्वीकरण (Disclaimer):-इस *अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।*

3. अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत निहारखन बासला, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹3,600 (15 वें वित्तायोग के अवधि 04/2024 से 03/2025 तक के ऑनलाईन ऑडिट के अंकेक्षण शुल्क सहित) बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सँख्या अनु•अधि•/रा•ले•प•शिमला/2025–52 दिनांक 11.07.2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा कार्यालय पत्र संख्या 0056/2025 GP/N. Basla दिनांक 30.07.2025 द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित जुखाला, जिला बिलासपुर के बैंक ड्राफ्ट संख्या एए 496321 दिनांक 30.07.2025 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित कर दिया गया।

4. वित्तीय स्थितिः–

सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या सँख्या अनु•अधि•/रा•ले•प•शिमला/2025–51 दिनांक 10.07.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** पर भी दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान (5) रोकड़ बहियों सभी (online) अर्थात स्वयं स्त्रोत, अनुदान (प्लानिंग), स्वच्छ भारत मिशन, 15 वाँ वित्तायोग व मनरेगा का रख–रखाव किया गया था।

(1)(क) संकलित वित्तीय स्थितिः– ग्राम पंचायत निहारखन बासला, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 तक के संकलित वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(i) स्वः स्त्रोत एवं अनुदानों की वित्तीय स्थिति

क्र0सं0	शीर्ष	वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
1	स्वयं स्त्रोत	2024–25	129362.00	25348.00	154710.00	84725.00	69985.00
2	अन्य अनुदान	2024–25	1946.00	2423106.00	2425052.00	2120693.00	304359.00
		योग (i)	**131308.00**	**2448454.00**	**2579672.00**	**2205418.00**	**374344.00**

(ii) 15वें वित्तायोग की वित्तीय स्थिति							
क्र0सं0	शीर्ष	वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
1	15 वाँ वित्तायोग	2024–25	523441.10	837763.00	1361204.10	561702.00	799502.10
						561702.00	799502.10
योग (ii)			523441.10	837763.00	1361204.10	2767120.00	1173846.10
कुल योग (i)+(ii)			654749.10	3286217.00	3940966.10		

(ख) बैंक समाधान विवरणीः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत निहारखन बासला के अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2025 को निम्न विवरणानुसार रोकड़ बही तथा बैंक बचत खातों में ₹1,66,899 का अन्तर था :–

1	दिनांक 31.03.2025 को संकलित वित्तीय स्थिति का अन्तशेष	₹ 1173846.10
2	दिनांक 31.03.2025 को विभिन्न बैंक बचत खातों का अन्तशेष **परिशिष्ट–1 (क)**	₹ 1340731.10
3	दिनांक 31.03.2025 को हस्तगत राशि (स्वयं स्त्रोत)	₹ 14.00
4	दिनांक 31.03.2025 को बैंक बचत खातों व हस्तगत राशि का कुल योग (2+3)	₹ 1340745.10
5	दिनांक 31.03.2025 को संकलित वित्तीय स्थिति तथा बैंक बचत खातों व हस्तगत राशि में कुल अन्तर (4-1)	₹ 166899.00

(ग) रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों में ₹1.67 लाख के भारी अन्तर का समाधान न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान करना अनिवार्य है। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बहियों व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिसके कारण दिनांक 31.03. 2025 को निम्न विवरणानुसार विभिन्न रोकड़ बहियों एंवम बैंक खातों के अन्तिम शेष **₹1,66,899** राशि का अन्तर पाया गया। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या अनु•अधि•/रा•ले•प•शिमला/2025–53 दिनांक 11.07.2025 के प्रत्युत्तर में उक्त अन्तर की राशि बारे सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा पत्र संख्या 55/2025 दिनांक 11.07.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त पत्र में वर्णित रोकड़ बही का बैंक खातों से राशि **₹1,66,899** अन्तर का पता लगाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

क्र0सं0	रोकड़ बही का नाम	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का अन्तशेष (₹)	दिनांक 31.03. 2025 को बैंक व हस्तगत राशि का अन्तशेष (₹)	अन्तर (₹)
1	खाता क (स्वयं स्त्रोत)	69985	87780	17795
2	खाता 'ख' (अनुदान प्लानिंग)	147730	148853	1123
3	स्वच्छ भारत मिशन	156629	158206	1577
4	15वाँ वित्तायोग	799502.10	945906.10	146404
			कुल योग	**166899**

5. सावधिक निवेशः—

अंकेक्षण अधियाचना संख्या अनु•अधि•/रा•ले•प•शिमला/2025—51 दिनांक 10.07.2025 की अनुपालना में पंचायत सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या 54/2025 दिनांक 11.07.2025 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/2024 से 03/2025 के दौरान सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था। अतः पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वंय स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों को अलग—अलग रख—रखाव करके, स्वंय स्त्रोत मे आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया सुनिश्चित जाए।

6. अनुदानः—

6.1 अनुदान राशि ₹3.04 लाख उपयोग हेतु शेषः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिंग एजेन्सी के दिशा—निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या अनु•अधि•/रा•ले•प•शिमला/2025—51 दिनांक 10.07.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना **परिशिष्ट—1** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में **₹3,04,359.00** की राशि उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशियों को विहित समय अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अतः ऐसे अनुदान जिनकी विहित अवधि समाप्त हो

चुकी हो, तो इसका कारण स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से समय अवधि की बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

6.2 ₹21.21 लाख के अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायतों को दी गई अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए है एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए गए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2024–25 में विभिन्न अनुदानों से ₹2120693 की राशि का व्यय किया गया था परन्तु इनसे सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या अनु•अधि•/रा•ले•प•शिमला/2025–51 दिनांक 10.07.2025 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा पत्र संख्या 54/2025 दिनांक 11.07.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत कर दिए जाएंगें। अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 ₹24.23 लाख के प्राप्त अनुदान के आदेश/स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु जिम्मेवार होगा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या अनु•अधि•/रा•ले•प•शिमला /2025–51 दिनांक 10.07.2025 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 54/2025 दिनांक 11.07.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में ₹2423106 के प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश/स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नहीं हुए है तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया गया है। यह एक अनुचित प्रकिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अतः अनुदानों के आदेश/स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे। अतः उक्त आदेश/स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

7 स्वः स्त्रोत :–

7.1 पंचायत राजस्व ₹0.25 लाख वसूली हेतु शेषः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को गृहकर/सम्पत्ति कर की वसूली करना अपेक्षित है। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या अनु•अधि•/रा•ले•प•शिमला/2025–51 दिनांक 10.07.2025 के क्रम संख्या 6 के प्रतिउत्तर पत्र संख्या 54/2025 दिनांक 11.07.2025 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2025 तक पंचायत राजस्व गृहकर की राशि **₹25050** की वसूली हेतु शेष थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–2** में भी दिया गया है।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	परिवार	गृहकर वार्षिक दर(₹)	मॉंग (₹)	कुल योग(₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष राशि(₹)
2024–25	14150	468	50	23400	37550	12500	25050

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.002 लाख की कम वसूली करनाः–

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अर्न्तगत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय–समय पर वसूल करने के उपरान्त हि• प्र• विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित नवीनतम लेखा शीर्ष 0070–60–108–01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय 2024–25 के दौरान निम्न तालिका में दिये विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित दरों से **₹200** की वसूली नहीं की गई थी। जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट– 3** में भी दिया गया है।

क्र• संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली हेतु शेष राशि (₹)
1	2024–2025	200

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या अनु•अधि•/रा•ले•प•शिमला/2025–53 दिनांक 11.07.2025 के प्रतिउत्तर पत्र संख्या 55/2025 दिनांक 11.07.2025 द्वारा स्पष्ट किया

गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूली गई राशि की वसूली करके उक्त राशि के जमा बारे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली उपरान्त अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.02 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवानाः–

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अर्न्तगत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹**200 प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय–समय पर वसूल करने के उपरान्त हि• प्र•विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित नवीनतम लेखा शीर्ष 0070–60–108–01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय 2024–25 के दौरान निम्न तालिका में दिये विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि **₹2200** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण **परिशिष्ट–3** में दिया गया है।

क्र• संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)**
1	**2024–2025**	**2200**

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या अनु•अधि• / रा•ले•प•शिमला / 2025–53 दिनांक 11.07.2025 के प्रतिउत्तर पत्र संख्या 55 / 2025 दिनांक 11.07.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि **₹2200** को राजकीय कोष में जमा करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जायेगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को राजकीय कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.4 रसीदों से प्राप्त ₹0.004 लाख राशि का दुर्विनियोजनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, सपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 6(3) के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्राप्त राशियों को बैंक मे जमा करवाना अनिवार्य है परन्तु ग्राम पंचायत के अवधि 04 / 2024 से 03 / 2025 के दौरान आय की रसीदों की अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–4** में दिये गये विवरणानुसार **₹400** की राशि का रोकड़ बही में इन्द्राज नहीं किया गया था और न ही इस राशि को बैंक में जमा करवाया गया था। परिणामस्वरूप राशि का दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है। इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या अनु•अधि• / रा•ले•प•शिमला / 2025–53

दिनांक 11.07.2025 के प्रतिउत्तर पत्र संख्या 55/2025 दिनांक 11.07.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि रसीदों के रूप में प्राप्त **₹400** को रोकड़ बही में दर्ज करके तथा राशि को बैंक में जमा करवाकर अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। अतः उक्त राशि को शीघ्र रोकड़ बही में लेखांकन करके राशि को बैंक में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने हेतु कारगर कदम उठाये जाये।

8. व्ययः–

8.1 सामग्री की आपूर्ति पर ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना राशि ₹2.57 लाख का अनियमित भुगतानः–

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियमावली 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फॉर्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फॉर्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम के द्वितीय अनुसूची के अनुसार रॉयल्टी का भुगतान 25% दण्ड़ शुल्क के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, शिमला के पत्र संख्या एक्स. ई एन.-(आर. डी.एवं पी.आर.)-डी.बी.-सामान्य/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हि. प्र. के आदेशों की अनुपालना में अब संविदाकारों/विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जाएगी तथा भुगतान उनके द्वारा फॉर्म "एक्स" या डब्ल्यू" प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा।

अंकेक्षण अवधि 04/2024 से 03/2025 में व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण सामग्री रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि के बिलों के साथ उक्त फार्म सलंग्न नहीं थे। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को **परिशिष्ट–5 के** अनुसार **₹2,56,581** का अनियमित भुगतान किया गया। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या अनु•अधि•/रा•ले•प•शिमला/2025–53 दिनांक 11.07.2025 के प्रतिउत्तर पत्र संख्या 55/2025 दिनांक 11.07.2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण उक्त ट्रांजिट फॉर्म "फॉर्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फॉर्म एक्स" सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से नहीं लिए गए हैं, जिन्हें भविष्य में नियमानुसार प्राप्त करके ही भुगतान किया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास फॉर्म की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ताओं को किया गया सम्पूर्ण भुगतान नियमों के विपरीत एंव अनियमित प्रतीत होता है। अतः **₹2,56,581** के अनियमित भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.2 स्त्रोत पर ₹0.11 लाख की जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करनाः—

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम 2017 की धारा 51 तथा हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78EXN-Tax-Part(278/25)-29056 दिनांक 29.09.2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/LocalAuthority/Govt.Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति फर्म, को सेवायें तथा वस्तुऐं प्रदान करने के बदले एकल अनुबन्ध में ₹2,50,000 से अधिक राशि का भुगतान करने पर 2%(1% सी.जी.एस.टी.तथा 1% एस.जी.एस.टी. अन्तरराज्यीय आपूर्ति एवंम 2% आई.जी. एस.टी. अन्तर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/संविदाकारों को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय कर जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है । परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अवधि 04/2024 से 03/2025 के दौरान आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति सलंग्न **परिशिष्ट—6** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार **₹5,40,955** (जी..एस.टी.के अलावा) राशि का भुगतान किया गया था, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तालिका में दिये विवरणानुसार स्त्रोत पर राशि **₹10,819** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है।

क्र• संख्या	वित्तीय वर्ष	फर्म/व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)	जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती योग्य राशि (₹)
1	2024—25	Maa Jalpa Concrete Industry Village Bhatetar P.O.Rani Kotla Tehsil Sadar, Distt. Bilaspur	Sand, Aggregate, Bricks etc.	540955	10819.10

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या अनु•अधि•/रा•ले•प•शिमला/2025—53 दिनांक 11.07.2025 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा पत्र संख्या 55/2025 दिनांक 11.07.2025 द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित आपूर्तिकर्ताओं **₹5,40,955** की सामग्री की आपूर्ति करने पर नियमानुसार **₹10,819** जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नहीं की गई है, जिन्हें भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा तथा इसकी वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने

के कारण संतोषजनक नहीं है। अतः जी.एस.टी. (टी.डी.एस.) की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए, अथवा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा जाये अन्यथा नियमानुसार देय अपेक्षित राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा जाए।

9. निर्माण कार्यों पर व्यय से सम्बन्धित अनियमितताएँः–

9.1 मनरेगा शीर्ष से करवाए गये निर्माण कार्य में प्रयुक्त निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक में गणना में गलती के करने के कारण ₹0.16 लाख राशि का अधिक भुगतान करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 44 के प्रावधानुसार ग्राम पंचायत का प्रधान और सम्बद्ध पंचायत का सचिव पंचायत निधि से उपगत या प्राधिकृत करते समय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का अनुपालन करेगें।

अंकेक्षण अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के दौरान मनरेगा शीर्ष के अर्न्तगत करवाये गए निर्माण कार्य के मूल्याकंन से सम्बन्धित माप पुस्तिका की जाँच में पाया गया कि पेवर ब्लॉक के कार्य के रूप में गणना में गलती के करने के कारण **परिशिष्ट–7** में दिये विवरणानुसार **₹15,750/–**राशि का अधिक भुगतान किया गया है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या अनु•अधि•/रा•ले•प•शिमला/2025–54 दिनांक 11.07.2025 द्वारा उक्त वित्तीय अनियमितता का प्रकरण सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 55/2025 दिनांक 11.07.2025 के तहत अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित मनरेगा शीर्ष के अर्न्तगत करवाये गए निर्माण कार्य के मूल्याकंन के रूप में **₹15,750/–** के अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी। अतः ग्राम पंचायत द्वारा किये गये अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित से करके अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु निर्माण कार्यों की नमूना जांच एवं सत्यापन नियमानुसार उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा की जानी भी सुनिश्चित की जाये।

9.2 ₹1.09 लाख की औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना:—

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। अंकेक्षण अवधि 04/2024 से 03/2025 के दौरान **परिशिष्ट– 8** में दिये गये विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹1,09,047** की सामग्री का क्रय निविदाएँ (Quotations) आमंत्रित किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या अनु•अधि•/रा•ले•प•शिमला/2025–53 दिनांक 11.07.2025 द्वारा प्रकरण सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा पत्र संख्या 55/2025 दिनांक 11.07.2025 द्वारा प्रकरण अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित **₹1,09,047** की औपचारिकताएँ पूर्ण करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी।" प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है। अतः औपचारिकताएँ को पूर्ण न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अनियमितता को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये। भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुए नियमानुसार स्टोर/स्टॉक का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9.3 ₹0.77 लाख सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना:—

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संपरीक्षा संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 66 से 73 अनुसार पंचायत द्वारा खरीदे गए सामान का लेखांकन तथा भंडारण उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई (Consumable or Non-consumable)सामान के रूप में अलग–अलग पुस्तकों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए तथा क्रय की गई प्रत्येक वस्तु की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तिकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डारण पुस्तकों में लिखा जाना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/2024 से 03/2025 के दौरान विभिन्न कार्यों हेतु क्रय किए गए सामान के बिलों की जाँच में पाया गया कि **परिशिष्ट–9** में दिये गये विवरणानुसार अनुसार **₹76,853** की सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत/जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं था। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या

अनु•अधि•/रा•ले•प•शिमला/2025–53 दिनांक 11.07.2025 द्वारा प्रकरण सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा पत्र संख्या 55/2025 दिनांक 11.07.2025 द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित स्टॉक रजिस्टर में **₹76,853** के क्रय किए गए सामान की स्टॉक प्रविष्टियाँ कर ली जाएगी व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया दिया जाएगा।" प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है, क्योंकि क्रय किए गए सामान के स्टॉक का इन्द्राज न करना अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है। अतः वांछित अभिलेख तैयार न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय की गई सामग्री की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख नियमानुसार तैयार करके सत्यापनार्थ हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाए।

9.4 उचित बिलों के बिना ₹0.22 लाख का भुगतान करना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, सपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 47(2) के अनुसार दावाकर्ता को अपने दावे उचित बिल पर प्रस्तुत करना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों के जाँच में पाया गया कि **परिशिष्ट–10** में दिये गये विवरणानुसार अनुसार **₹22,200** का व्यय आपूर्तिकर्ता से उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बनाकर भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या अनु•अधि•/रा•ले•प•शिमला/2025–53 दिनांक 11.07.2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा पत्र संख्या 55/2025 दिनांक 11.07.2025 द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा। अतः उक्त आपूर्तिकर्ताओं से उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बनाकर भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित आपूर्तिकर्ताओं से उचित बिल प्राप्त करना सुनिश्चित किये जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करना:–

हि• प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 व हि• प्र• पंचायती राज (सामान्य) नियमावली 1997 के नियम 34 के प्रावधित महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना आपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है:–

क्र॰ सं॰	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, संपरीक्षा, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002			
1	निवेश रजिस्टर	1	12 (1) व 27 (1)
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	माँग और प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
4	बजट प्राक्कलन रजिस्टर	11	37
5	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
6	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) (a)(b)
7	गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित अभिलेख रजिस्टर	30	89
8	तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन रजिस्टर	31	95 (1)
9	निर्माण कार्यों के लेखें	--	103
10	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर	--	101 (2)
हि॰ प्र॰ पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997			
1	विकास कार्य निष्पादन रजिस्टर	7	34
2	अनुदान रजिस्टर	8	34
3	अचल सम्पत्ति रजिस्टर	11	34

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या अनु॰अधि॰/रा॰ले॰प॰शिमला/2025–51 दिनांक 10.07.2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा पत्र संख्या 54/2025 दिनांक 11.07.2025 द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में सभी रजिस्टरों को तैयार कर लिया जाएगा और अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा जाए।

11. प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक भी बार नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। अंकेक्षण अधियाचना संख्या अनु॰अधि॰/रा॰ले॰प॰शिमला/2025–51

03/2025 तक स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है जिसे भविष्य में नियमानुसार सत्यापित करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण मान्य नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये गये स्टोर/स्टॉक के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित सुधारात्मक कार्रवाई अमल मे लाकर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. **लघु आपत्ति विवरणिकाः**—लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

13. **निष्कर्षः**—लेखों में पर्याप्त सुधार और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता हैं।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009
दूरभाष 0177—2620046

का0/प्रति

7438-7442 06 DEC 2025

पृष्ठांकन संख्याः— फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(12)77/2025 खण्ड—1 दिनांक शिमला—09
प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत निहारखन बासला, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009

का0/प्रति

परिशिष्ट 1 पैरा संख्या 4(i) क, 6.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत निहारखन बासला विकास खंड सदर जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश

वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

SR.NO	PARTICULARS	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	OWN SOURCE	129362.00	25348.00	154710.00	84725.00	69985.00
2	5TH SFC (A/C B)	1946.00	512158.00	514104.00	366374.00	147730.00
3	SBM	0.00	549231.00	549231.00	392602.00	156629.00
4	15TH FC	523441.10	837763.00	1361204.10	561702.00	799502.10
5	MNREGA	0.00	1361717.00	1361717.00	1361717.00	0.00
	Total	**654749.10**	**3286217.00**	**3940966.10**	**2767120.00**	**1173846.10**

सचिव
ग्राम पंचायत निहारखन-बासला
विकास खण्ड सदर,
जिला बिलासपुर (हि.प्र.)

ग्राम पंचायत निहारखन बासला, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर , हिमाचल प्रदेश
वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

स्व: स्त्रोत :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
1	2024-25	129362.00	25348.00	154710.00	84725.00	69985.00

15 वें वित्तायोग :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
1	2024-25	523441.10	837763.00	1361204.10	561702.00	799502.10

अनुदान :-

क्रम	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
1	2024-25	1946.00	2423106.00	2425052.00	2120693.00	304359.00

संकलित वित्तीय स्थिति :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
1	2024-25	654749.10	3286217.00	3940966.10	2767120.00	1173846.10

सचिव
ग्राम पंचायत निहारखन-बासला
विकास खण्ड सदर,
जिला बिलासपुर (हि.प्र.)

17

परिशिष्ट (1)

(पैरा संख्या 4(1)(क, ख) में वर्णित)

1	दिनांक 31.03.2025 को संकलित वित्तीय स्थिति का अन्तशेष	₹ 1173846.10
2	दिनांक 31.03.2025 को विभिन्न बैंक बचत खातों का अन्त शेष **परिशिष्ट–1 (क)**	₹ 1340731.10
3	दिनांक 31.03.2025 को हस्तगत राशि (स्वंय स्त्रोत)	₹ 14.00
4	दिनांक 31.03.2025 को बैंक बचत खातों व हस्तगत राशि का कुल योग (2+3)	₹ 1340745.10
5	दिनांक 31.03.2025 को संकलित वित्तीय स्थिति तथा बैंक बचत खातों व हस्तगत राशि में कुल अन्तर (4-1)	₹ 166899.00

Section Officer
H.P. State Audit Department
Shimla-09

ग्राम पंचायत निहारखन बासला, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

दिनांक 31.03.25 को बैंकों व रोकड़ बहियों के अंतशेष के अंतर का विवरण निम्नानुसार है:-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	बैंक का नाम	खाता नंबर	बैंक खातों का अंत शेष राशि (₹)	हस्तगत राशि (₹)	31.03.2025 को बैंक मे जमा कुल शेष राशि (₹)	वित्तीय स्थिति के अनुसार अंत शेष (₹) (7-6)	अंतर (₹) (5-8)
1	**OWN SOURCE**	HPSCB JUKHALA	12510108566	87766.00	14.00	87780.00	69985.00	-17795.00
2	**5TH SFC (A/C B)**	HPSCB JUKHALA	12510108567	148853.00	0.00	148853.00	147730.00	-1123.00
3	**SBM**	HPSCB JUKHALA	12510109200	158206.00	0.00	158206.00	156629.00	-1577.00
4	**15TH FC**	HPSCB JUKHALA	12510108568	945906.00	0.00	945906.00	799502.10	-146403.90
कुल योग				**1340731.00**	**14.00**	**1340745.00**	11,73,846.10	**-166898.90**

सचिव
ग्राम पंचायत निहारखन-बासला
विकास खण्ड सदर,
जिला बिलासपुर (हि.प्र.)

ग्राम पंचायत निहारखन बासला, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश		
दिनांक 31.03.2025 को वितीय स्थिति का अंत शेष		
1	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का अंतिम शेष	1173846.10
2	दिनांक 31.03.25 को बैंक खातों का अंतिम शेष	1340745.00
अन्तर		**166898.90**
दिनांक 31.03.2025 को बैंक समाधान विवरणी		
1	स्व: स्त्रोत की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	69985.00
2	अनुदान की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	304359.00
3	15 वां वितायोग की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	799502.10
4	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का कुल अंतिम शेष	1173846.10
6	दिनांक 31.03.25 को बैंक खातों का अंतिम शेष	1340745.00
अंतर		**-166898.90**

सचिव
ग्राम पंचायत निहारखन-बासला
विकास खण्ड सदर,
जिला बिलासपुर (हि.प्र.)

परिशिष्ट – "1 (क)"

(पैरा संख्या 4 (1)(ख) में वर्णित)

ग्राम पंचायत निहारखन बासला , विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

दिनांक 31.03.25 को बैंक का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	खाता संख्या	खाता नंबर	राशि (₹)
1	**OWN SOURCE**	HPSCB JUKHALA	12510108566	87766.00
2	**5TH SFC (A/C B)**	HPSCB JUKHALA	12510108567	148853.00
3	**SBM**	HPSCB JUKHALA	12510109200	158206.00
4	**15TH FC**	HPSCB JUKHALA	12510108568	945906.10
		Total		**1340731.10**

सचिव
ग्राम पंचायत निहारखन-बासला
विकास खण्ड सदर,
जिला बिलासपुर (हि.प्र.)

~~20~~ 21

परिशिष्ट 2 पैरा संख्या 7·1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत निहारखन बासला, विकास खंड सदर, जिला बिलासपुर

(01.04.2024 से 31.03.2025)

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक **गृह कर** की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2024-2025	14150	468	50	23400	37550	12500	**25050**

सचिव
ग्राम पंचायत निहारखन-बासला
विकास खण्ड सदर,
जिला बिलासपुर (हि.प्र.)

परिशिष्ट 3 पैरा संख्या 7.2 व 7.3 में संदर्भित

ग्राम पंचायत निहारखन बासला, विकास खंड सदर जिला बिलासपुर

(विवाह पंजीकरण सूची) (01.04.2024 से 31.03.2025)

क्रम संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	देय राशी (₹)	प्राप्त राशि (₹)	बकाया राशी (₹)
1	विकास सपुत्र श्री निक्कू राम	12-03-2024	09-04-2024	21569	200	200	0
2	मीरा देवी सपुत्री जगदीश कुमार	18-04-2024	31-05-2024	21599	400	400	0
3	मुकेश कुमार सपुत्र श्री सुख राम	14-07-2024	18-07-2024	51002	200	200	0
4	रीना कुमारी सपुत्ररि श्री बासु देव	25-07-2024	30-07-2024	51007	200	200	0
5	दीक्षा कुमारी सपुत्ररि श्री राम स्वरूप	13-08-2024	30-08-2024	51008	200	200	0
6	योगेश कुमार सपुत्र श्री बाबू राम	29-12-2023	13-09-2024	51009	400	200	200
7	अजय धीमान सपुत्र श्री राम कृषण	07-10-2024	16-10-2024	51014	200	200	0
8	सुमित कुमार सपुत्र श्री कृषण	07-10-2024	17-10-2024	51016	200	200	0
9	सुजाता सपुत्ररि श्री राम कृषण	18-02-2025	10-03-2025	51019	200	200	0
10	ज्योति सपुत्ररि श्री संजीव कुमार	25-02-2025	17-03-2025	51020	200	200	0
	कुल योग				2400	2200	200

सचिव
ग्राम पंचायत निहारखन-बासला
विकास खण्ड सदर,
जिला बिलासपुर (हि.प्र.)

परिशिष्ट 4 पैरा संख्या 7.4 में संदर्भित					
ग्राम पंचायत निहारखन बासला, विकास खंड सदर , जिला बिलासपुर					
दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक रसीदों से प्राप्त आय को रोकड़ बही व बैंक में जमा न करना :-					
क्रमांक	**रसीद संख्या**	**मद**	**प्राप्त राशि**	**रोकड बही व बैंक में जमा राशि**	**अंतर**
1	21560 से 21600	गृह कर	9350	8950	**400**
	कुल योग		9350	8950	**400**

सचिव
ग्राम पंचायत निहारखन-बासला
विकास खण्ड सदर,
जिला बिलासपुर (हि.प्र.)

Gram Panchayat Nihar Khan Basla Distt Bilaspur (H.P.) परिशिष्ट – "5"
(पैरा संख्या 8.1 में वर्णित)

Detail of Materials for M. Form.

SR NO.	SCHEME	NAME OF WORK	VOUCHER NO.	NAME OF VENDOR	MATERIAL	QTY/cum	Rate	TOTAL
		MATERIAL WORK DETAIL 2024-25						
1	MGNREGA	C/O CHECK DAM NIHARKHAN BASLA PIPAL KE PASS	253	maa jalpa concrete industry Vill. Bhadetar P.o Ranikotla .Teh .Sadar Distt. Bilaspur (H.P.)	SAND	4.63	1250	5787
			253	maa jalpa concrete industry	AGGREGATE	10.8	1295	13986
			251	Shyam Lal and Company	Shutring	340	11.42	3886.2
2	MGNREGA	C/O CATTLE SHED IN THE LAND OF NARANJAN S/O LOBHI RAM PANJOG	254	Shyam Lal and Company		1715	9.04	14175
3	MGNREGA	C/O R.R.W.H.T. INDER RAJ S/O TULSHI RAM R/O NIHARKHAN GP.NIHARKHAN	257	Shyam Lal and Company		10.5	2000	19950
4	MGNREGA	C/o Shilaphalakam GP. Niharkhan	3097	Chauhan Arts	Sheet	1	10169.5	10169.5
5	MGNREGA	C/O SAMPARK MARG BASALA PUKHAR SE BUDHI RAM & VANY KE GHAR TAK	248	maa jalpa concrete industry	AGGREGATE	20.5	1295	26547
			248	maa jalpa concrete industry	SAND	18	1250	22500
			249	maa jalpa concrete industry	Stone	28.8		35712
			250	maa jalpa concrete industry	Interlok tiels	2250	21	47250
			251	maa jalpa concrete industry	Interlok tiels	2250	21	47250
			252	maa jalpa concrete industry	Interlok tiels	2250	21	47250
			253	maa jalpa concrete industry	SAND	4.63	1250	5787.5
			253	maa jalpa concrete industry	aggregate	10.8	1295	13986
6	MGNREGA	C/o IRRIGATOIN TANK IN THE LAND OF NAND LAL S/O TULSHI RAM AADI NIHARKHAN BASLA	253	Shyam Lal and Company	SAND	12.35	2000	21000
1	15th fin.	c/o bowdi and bath room sahit niharkhan basla ward no 3	366	maa jalpa concrete industry	sand	6.3	2200	13860
					aggregate	6	1340	8040
					stone	1.5	1240	1860
2	15th fin.	c/o road basla Pukhar To Bhudhi ram House Etc	309	maa jalpa concrete industry	Sand	5	1290	6450
					aggregate	4	1340	5360
3	15th fin.	C/o Bowari Sharvan House Palog	445	maa jalpa concrete industry	Sand	3	2200	6600
					aggregate	5.5	1340	7370
4	15th fin.	C/o Darin Panjog Ward no. 1 Durga Ram House To Ramesh House	496	maa jalpa concrete industry	Sand	5	2200	11000
					aggregate	4	1340	5360
5	SBM	C/o Socpit With Drian Kanhya S/o Kanshi Ram & RamPal ect	365	maa jalpa concrete industry	Sand	1.5	2250	3300
6	SBM	C/o Varmicomport Vill. Palog	363	maa jalpa concrete industry	Sand	2	1340	2680
					aggregate	4	1340	5360
7	SBM	C/o Sicpit Drian Sahit Nirmala Devi Brij La ect House	389	maa jalpa concrete industry	Sand	2.5	1290	3225
					aggregate	4	1340	5360
8	SBM	C/o Socpit Drian Sahit Prem Lal Sucah Singh Jagdish ect	468	maa jalpa concrete industry	Sand	2.5	2200	5500
					aggregate			
						GRAND TOTAL:-		426561.2
								2,56,581=00

2,56,581.00

-24- 25

सचिव
ग्राम पंचायत निहारखन-बासला

परिशिष्ट ६ पैरा संख्या ४.२ में संदर्भित

ग्राम पंचायत निहारखन बासला, विकास खंड सदर, जिला बिलासपुर

(जी.एस.टी.टी.डी.एस.) की वसूली न करने वारे (01.04.2024 से 31.03.2025)

क्रम संख्या	वर्ष	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	कुल राशि (₹)	जी.एस.टी.(टी.डी.एस.) की कटौती राशि (₹)
1	01-04-2024 to 31-03-2025	Maa Jalpa Concrete Industry Village Bhatetar P.O. Rani Kotla Tehsil Sadar Distt. Bilaspur	Sand and Aggregate Bricks	540955.00	10819.10
कुल योग					**10819.10**

सचिव
ग्राम पंचायत निहारखन-बासला
विकास खण्ड सदर,
जिला बिलासपुर (हि.प्र.)

परिशिष्ट - "7"

(पैरा संख्या 9.1 में वर्णित)

Gram Panchayat Niharkhan Basla Distt Bilaspur (H.P.)

"P/L factry made chackered edge cement concrete locking paver block up to M80 grade" की प्रमात्रा को गलत माप/गणना के कारण संविदाकारो को 0.15लाख का अधिक भुगतान :-

निर्धारित मानको के अनुसार cc inter lock paver tiles के प्रकरण में cc inter lock paver tiles को मजबूती प्रदान किये जाने के लिए cc inter lock paver tiles के दोनों तरफ cc 1:3:6: या अनुबन्द अनुसार प्रावधित सीमेंट कंक्रीट की लेयर डाली जाती है जिससे cc inter lock paver tiles को दोनों तरफ से पकड़ मिल सके ।इस प्रकार जिस मात्रा के लिए cc 1:3:6 या अनुबन्द अनुसार प्रावधित सीमेंट कंक्रीट की प्रमात्रा निष्पादित की जायेगी वहां पर cc inter lock paver tiles नहीं लगाई जायेगी ।निम्न वर्णित कार्यों में cc 1:2:4 की निष्पादित कार्य मात्रा को cc inter lock paver tiles की निष्पादित कार्य प्रमात्रा में से कम करके cc inter lock paver tiles की मात्रा का भुगतान संविदाकार को किया जाना आपेक्षित था ।निम्न वर्णित कार्यो के बिलों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि "P/L in position cc 1:2:4 for side packing of pavers tiles"जिस मात्रा में निष्पादित की गई थी उसी मात्रा के लिए "I/C factory made chackered edge cement concrete inter locking paver block up to m50 grade" का भी भुगतान किया गया था जो तय मानको के विरुद होने के कारण अनियमित है अतः इस प्रकार संविदाकारो को निम्न विवरण अनुसार "I/C factory made chackered edge cement concrete inter locking paver block up to m50 grade" हेतु 15750/ का अधिक भुगतान किया गया है । अतः इस अधिक किये गये भुगतान बारे वस्तुस्थिति से अकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिशित किया जाए ।

Name of work:- c/o samprak Marg Basla pukhar se budhi singh house

Head :- sh Menrega

Date of commencement :-01 /02/2024

Date of compiletion ;-15/02 /2024

Detail of itmes	Item No	Qty	Total tiles used	Rate per tiles	Total amount
Qty of item no 4i.e. "P/L factory made checkered edge cement concret paver block up to M80 grade' Excecuted &paid up to 1st &final bill as MB no 30001 page no 41-42	4	202.50per/m2 (A) @ 33.33	6750	21	141750
Qty of itme no 5 i.e. "in position CC1:2:4for side of pavers"Exectuted &paid MB no 30001 page 41-42	5	22.5per/m2 2x75x.15=22.5	750	21	15750
Payment should be paid for item no 4i.e. "P/L factory made		(B) (202.50-22.5)=180per/m2 @ 33.33	6000	**21**	**126000**

checkered edge cement concret paver block up to M50 grade' Excecuted &paid up to 1st &final bill as MB no 30001 page no 41-42 p					
Excess payment made to Contractor in respect item no 4 i.e. "P/L factory made checkered edge cement inter locking paver block up to M50 grade'(13.49msqare@820)	**(A-B)** (202.50-22.5)=180per/m2 (141750-126~~168~~000)=~~15582~~ 15,750/-	6000	**21**	**126168**	

Section Officer
H.P. State Audit Department
Shimla-09

परिशिष्ट ४ पैरा संख्या १.२ में संदर्भित

ग्राम पंचायत निहारखन बासला, विकास खंड सदर, जिला बिलासपुर

औपचारिकताएं पूर्ण किए विना किया गया क्रय

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान का विवरण	राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत Own Sources	14.08.2025	कार्यालय व्यय	टेबल	34475.00
2	स्व: स्त्रोत Own Sources	21.11.2024	कार्यालय व्यय	फर्नीचर	18000.00
3	अनुदान खाता ख	30.06.2024	कार्यालय व्यय	लेखन सामग्री	6083.00
4	स्वच्छ भारत मिशन	21.12.2024	निर्माण केचुआ पिट श्री रोशन लाल के घर ग्राम पंचायत निहारखन बासला,	निर्माण सामग्री लोहा	11800.00
5	स्वच्छ भारत मिशन	21.12.2024	निर्माण केचुआ पिट श्री कन्हैया राम के घर ग्राम पंचायत निहारखन बासला,	सरिया व निर्माण सामग्री	20400.00
6	स्वच्छ भारत मिशन	13.02.2025	निर्माण शोक पिट व नाली पुनू राम के घर तक ग्राम पंचायत निहारखन बासला,	पी.वी.सी. पाईप	11044.00
7	स्वच्छ भारत मिशन	28.03.2025	निर्माण शोक पिट व नाली प्रेम लाल, जगदीश चन्द के घरों तक ग्राम पंचायत निहारखन बासला,	पी.वी.सी. पाईप	7245.00
			कुल योग		109047.00

सचिव
ग्राम पंचायत निहारखन-बासला
विकास खण्ड सदर,
जिला बिलासपुर (हि.प्र.)

परिशिष्ट 9 पैरा संख्या १.३ में संदर्भित

ग्राम पंचायत निहारखन बासला, विकास खंड सदर, जिला बिलासपुर

सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी दर्ज न करने वारे (01.04.2024 से 31.03.2025)

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	वाउचर संख्या	बिल संख्या	फर्म का नाम व पता	क्रय किए गए सामान का विवरण	राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत Own Sources	कार्यालय व्यय	4& 5	3492	मै. के.डी.शर्मा एण्ड़ ब्रदर्ज ब्रहमपुखर	टेबल	34475.00
2	स्व: स्त्रोत Own Sources	कार्यालय व्यय	6	204	मै. के.डी.शर्मा एण्ड़ ब्रदर्ज ब्रहमपुखर	फर्नीचर	18000.00
3	अनुदान खाता ख	कार्यालय व्यय	7	1529	मै. ब्यास प्रिट व डाई बिलासपुर	लेखन सामग्री	6089.00
4	स्वच्छ भारत मिशन	निर्माण शोक पिट व नाली पुनू राम के घर तक ग्राम पंचायत निहारखन बासला,	16	3781	मै. के.डी.शर्मा एण्ड़ ब्रदर्ज ब्रहमपुखर	पी.वी.सी. पाईप	11044.00
5	स्वच्छ भारत मिशन	निर्माण शोक पिट व नाली प्रेम लाल, जगदीश चन्द के घरों तक ग्राम पंचायत निहारखन बासला,	17	667	मै. एस.एस. ब्रदर्ज ब्रहमपुखर बिलासपुर	पी.वी.सी. पाईप	7245.00
					कुल योग		**76853.00**

सचिव
ग्राम पंचायत निहारखन-बासला
विकास खण्ड सदर,
जिला बिलासपुर (हि.प्र.)

परिशिष्ट 10 पैरा संख्या 9.4 में संदर्भित					
ग्राम पंचायत निहारखन बासला, विकास खंड सदर, जिला बिलासपुर					
बिना उचित बिल के किया गया भुगतान					
क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान का विवरण	राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत	21.11.2024	कार्यालय व्यय	कुर्सियां	18000.00
2	स्व: स्त्रोत	28.03.2025	कार्यालय व्यय	जलपान	4200.00
कुल योग					**22200.00**

सचिव
ग्राम पंचायत निहारखन-बासला
विकास खंड सदर,
जिला बिलासपुर (हि.प्र.)